जन सुनवाई कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)

मैसर्स पाल स्टोन इण्डस्ट्रीज, सैण्ड स्टोन माइन्स (खनन पट्टा संख्या 01/1990 क्षेत्रफल 10.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम सिरौंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 14,75,106 (ROM) टन प्रतिवर्ष (Saleable Sand Stone 11,80,085 MT, Sub Grade 73,756 MT & Waste 2,21,265 MT) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबध में आयोजित जन सुनवाई दिनांक 02.03.2023 का कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव ऑकलन अधिसूचना, कमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.06 तथा यथा संशोधित दिसम्बर 2009 एवं Office Memorandum No. J-11015/387/2008-I A.11 (m) dated 28th Sep. 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत मैसर्स पाल स्टोन इण्डस्ट्रीज, सैण्ड स्टोन माइन्स (खनन पट्टा संख्या 01/1990 क्षेत्रफल 10.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम सिरौंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 14,75,106 (ROM) टन प्रतिवर्ष (Saleable Sand Stone 11,80,085 MT, Sub Grade 73,756 MT & Waste 2,21,265 MT) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबध में श्री सुनील कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर, (जिला कलक्टर, भरतपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में दिनांक 02.03.2023 को अपरान्ह 02:00 बजे, ग्राम, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, सिरौंद तहसील– रूपवास, जिला – भरतपुर (राजस्थान) में जन सुनवाई आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित परियोजना ताज ट्रैपेजियम जोन (टी.टी.जैड.) के अन्तर्गत आती है।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट– 'क' पर संलग्न है। जन सुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 31.01.2023 को दैनिक भास्कर एवं अरूणप्रभा, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियां परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्री विवेक गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया कि यह जनसुनवाई मैसर्स पाल स्टोन इण्डस्ट्रीज, सैण्ड स्टोन माइन्स (खनन पट्टा संख्या 01/1990 क्षेत्रफल 10.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम सिरौंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 14,75,106 (ROM) टन प्रतिवर्ष (Saleable Sand Stone 11,80,085 MT, Sub Grade 73,756 MT & Waste 2,21,265 MT) के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है।

श्री विवेक गोयल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर एवं पधारे हुये समस्त ग्रामवासियों का अभिनंदन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा कि जनसुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास एवं संचार होता है, साथ ही परियोजना से पर्यावरण के संरक्षण संबंधित जन मानस की सोच एवं सुझाव

उपलब्ध हो जाते हैं। श्री विवेक गोयल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन, मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियां, सुझाव अथवा राय दे सकते हैं।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर की अनुमति से इकाई की तकनीकी परामर्शदाता श्री अश्विनी कश्यप द्वारा खनन परियोजना एवं खनन कार्य के पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सारांश के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया की प्रस्तावित खदान परियोजना में पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावक द्वारा किस प्रकार परियोजना का [illegible] किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना की स्थिति, ताज ट्रैपेजियम जोन (टी.टी.जैड.) के सापेक्ष जाननी चाही गयी, जिसके प्रत्युत्तर में तकनीकी परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि परियोजना ताज ट्रैपेजियम जोन (टी.टी.जैड.) के अन्तर्गत आती है तथा उससे संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु गाइड लाइन के अन्तर्गत जिसमें नीरी की टिप्पणी तथा अन्य सावधानों की अनुपालना प्रस्तावक द्वारा की जायेगी।

तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर पधारे गये लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में सुझाव/आपत्ति/राय व्यक्त करने/प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

सर्वप्रथम श्री अभिषेक कटारा जी, निवासी ग्राम सिरौंद, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होना बताया गया। उनके द्वारा पट्टा धारक से अनुरोध किया गया कि प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को ही रोजगार का अवसर दिया जाये, तथा गॉव की शिक्षा व्यवस्था का विकास सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने बताया कि खनन कार्य के लिये समुचित सड़क मार्ग की व्यवस्था नहीं हैं तथा सरकारी मार्ग अवरूद्ध हैं व सड़क-मार्ग की समस्या संबंधित नक्शा का संशोधन, न्यायालय में विचाराधीन हैं।

तत्पश्चात् श्री विवेक कटारा जी, निवासी ग्राम सिरौंद, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर, द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि ग्रामवासियों को रोजगार हेतु गॉव से दूर अन्यत्र जाना पडता है तथा इस क्षेत्र में खनन ही स्थानीय रोजगार का विकल्प है और प्रस्तावित परियोजना से स्थानीय रोजगार का अवसर मिलेगा। उनके द्वारा बताया गया कि सड़क मार्ग की समस्या का निस्तारण कानूनी कार्यवाही व नियमानुसार किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर, द्वारा बैठक में उपस्थित आमजन से अनुरोध किया गया कि सड़क मार्ग संबंधित समस्या जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान में ले लिया गया है व परियोजना से संबंधित राय/टिप्पणी व्यक्त करने को आमजन से पुनः आग्रह किया।

तदोपरान्त श्री रिंकू कटारा जी, निवासी ग्राम सिरौंद, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर, द्वारा परियोजना का समर्थन करते हुये बताया गया कि खनन कार्य ही स्थानीय रोजगार का विकल्प है तथा प्रस्तावित परियोजना से रोजगार के अवसर मिलेंगे।

श्री भगवान सिंह जी, निवासी ग्राम सिरौंद, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर, द्वारा बताया गया कि खनन कार्य से इस क्षेत्र में सिलिकोसिस बीमारी की समस्या रहती है अतः खनन पट्टों का आवंटन आबादी क्षेत्र से दूर किया जावे।

श्री सतेन्द्र सिंह जी, निवासी ग्राम सिरौंद, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर, द्वारा बताया गया कि खनन पट्टों का आवंटन आबादी क्षेत्र से दूर किया जाये तथा उन्होंने बताया कि खनन कार्य में उपयोग हेतु भारी माल वाहन गॉव से होकर गुजरते हैं तथा परिवहन मार्ग में गॉव का प्राथमिक विद्यालय भी आता है जिससे किसी अप्रिय सडक दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है।

ग्राम पंचायत समिति सदस्य श्री बबलू कुमार शर्मा जी, निवासी ग्राम सिरौंद, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर, द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना को आबादी क्षेत्र से दूर सुनिश्चित किया जावे।

श्री सुजान सिंह जी, निवासी ग्राम सिरौंद, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर, द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना के समीप आबादी क्षेत्र (पट्टा संख्या 781,8.5 हैक्टेयर क्षेत्रफल) है जहॉ उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रस्तावित है जो वर्तमान में प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि पट्टे तथा आबादी क्षेत्र का सीमांकन व भौतिक सत्यापन नियमानुसार किया जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति से इस परियोजना के बारे में सुझाव या शिकायत हो तो बैठक में अवगत करायें।

तदोपरांत कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर ने समीक्षात्मक उद्‌बोधन एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित जन को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा रखे गये विचार रिकॉर्ड किये गये हैं। आपके विचार व सुझाव/आपत्तियॉ सभी सम्मिलित कर संबंधितों को भेजी जायेंगी, जिसके सभी बिन्दुओं पर विचारोपरांत ही प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा। उनके द्वारा बताया गया कि ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराई गयी सडक की समस्या एक सार्वजनिक समस्या है तथा प्रशासनिक स्तर से समस्या का यथाशीघ्र निस्तारण किया जावेगा।

अंत में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद के साथ पर्यावरणीय लोकसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(विवेक गोयल) क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.मं., भरतपुर	(रतन कुमार) अति. जिला कलेक्टर भरतपुर, (राज.)